सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–720
08/09/2017

पी0आई0ओ0 सह–प्राचार्य को लगा आर्थिक दण्ड

पटना–08 सितम्बर, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0 के0 वर्मा ने वाद सं0–93550/13–14 के मामले में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री समरजीत कुमार सिंह, को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन नही करने के एवज में पीआईओ –सह–प्राचार्य, रामसुंदर दास महिला महाविद्यालय, गोला बाजार, सोनपुर, सारण को 25,000 (पचीस हजार रू0) का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही जिला पदाधिकारी, सारण/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को आदेश की प्रति भेजते हुए निर्देशित किया है कि वे लगाए गए आर्थिक दण्ड संबंधी राशि की कटौती कर आयोग को प्रतिवेदित करें।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 12 जनवरी 2018 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******